भारत में निर्वाचकीय प्रणाली का विकास

अगस्त 1947 में भारत द्वारा आज़ादी प्राप्त करने के बाद संपूर्ण व्यस्क मताधिकार के आधार पर वास्तविक रूप से प्रतिनिधि सरकार के चुनाव हेतु आम चुनाव अयोजित किए जाने की आवश्यकता थी। इसलिए 26 नवम्बर, 1449 से अनुच्छेद 324 को लागू किया गया, जिसमें एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, जबकि अधिकांश अन्य प्रावधानों को 26 जनवरी, 1950 (जब भारत का संविधान प्रभावी हुआ) से प्रभावी किया गया।

औपचारिक रूप से निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी, 1950, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य बनने के एक दिन पहले, को किया गया। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री सुकुमार सेन को 21 मार्च, 1950 को नियुक्त किया गया।

आयोग ने 1950 से 16 अक्तूबर, 1989 तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम किया, लेकिन इसे 16 अक्तूबर, 1989 से जनवरी, 1990 तक तीन सदस्यीय निकाय के रूप में बदल दिया गया। 1 जनवरी, 1990 को इसे एक सदस्यीय निकाय प्रणाली के रूप में पुनः बदल दिया गया। तथापि 1 अक्तूबर, 1993 से आयोग लगातार तीन सदस्यीय निकाय के रूप में काम कर रहा है।

मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन एवं भत्ते दिये जाते हैं। निर्णय लेने में सभी तीन आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है और किसी मुद्दे पर राय में अंतर देने की स्थिति में निर्णय बहुमत द्वारा लिया जाता है।मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, है।

लोक सभा और विधान सभाओं के पहले आम चुनाव के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा पहला परिस्थिति आदेश निर्वाचन आयोग के परामर्श से और संसद के अनुमोदन से 13 अगस्त, 1951 को जारी किया गया।

चुनाव के आयोजन हेतु विधिक ढाँचा प्रदान करने के लिए, मुख्यत: निर्वाचन नामावली की तैयारी हेतु 12 मई, 1950 को संसद ने पहला अधिनियम (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950) और संसद के दोनों सदनों और प्रत्येक राज्य के लिए विधान सभाओं के चुनाव के आयोजन हेतु प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए 17 जुलाई, 1951 को दूसरा अधिनियम (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951) पारित किया।

15 नवम्बर, 1951 तक सभी राज्यों में चुनाव क्षेत्रों के लिए निर्वाचन नामावली प्रकाशित किये गये। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी (जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर) 33,66,91,760 के मुक़ाबले मतदाताओं की संख्या (जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर) 17,32,13,635 थी। लोक सभा और विधान सभाओं के लिए पहला आम चुनाव अक्तूबर, 1951 और मार्च, 1952 के बीच आयोजित किए गए। 497 सदस्यीय पहले लोक सभा का गठन 2 अप्रैल, 1952 को किया गया। 216 सदस्यीय पहले किया गया।

संसद के दो सदनों और राज्य विधान सभाओं के गठन के बाद राष्ट्रपति का पहला चुनाव मई, 1952 में हुआ और पहले विधिवत निर्वाचित राष्ट्रपति ने 13 मई, 1952 को कार्यभार संभाला। 1951-52 में पहले आम चुनाव के समय आयोग ने 14 राजनीतिक दलों को राज्य के रूप में मान्यता दी। वर्तमान में सात मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल और 40 राज्य दल हैं।

1951-52 और 1957 में पहले और दूसरे आम चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदान की 'मतपत्र प्रणाली' को अपनाया। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक उम्मीदवार को आवरणयुक्त उपकक्ष में प्रत्येक मतदान केंद्र पर अलग मत पेटी आबंटित की गई और मतदाता को केवल अपनी पसंद के उम्मीदवार की मत पेटी में अपना मत पत्र (केंद्रीय रूप से पहले छपा हुआ मत पत्र) डालना होता था

1962 में तीसरे आम चुनाव और उसके बाद से आयोग ने मतदान की अंकन प्रणाली को शुरू किया। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों का नाम एवं चुनाव चिह्न युक्त सामान्य मत पत्र छपा होता है, जिस पर मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार के चिह्न पर या इसके नजदीक तीर क्रॉस चिह्न रबर की मोहर से निशान बनाना होता है। सभी निशानयुक्त मतपत्रों को सामान्य मत पेटी में डाला जाता है।

इलेक्ट्रनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का प्रयोग पहली बार प्रयोगात्मक आधार पर 1982 में केरल में परूर विधान सभा के कुछ भाग में किया गया। बाद में 1998 में ईवीएम का व्यापक प्रयोग शुरू हुआ। पहली बार 2004 में लोक सभा के चौदहवें आम चुनाव में देश में सभी मतदान केन्द्रों पर ईवीएम प्रयोग किया गया। तब से लोक सभा और विधान सभाओं के सभी चुनाव ईवीएम के प्रयोग द्वारा आयोजित किये जाते रहे हैं।

1951-52 से लोक सभा के पंद्रह आम चुनाव और विधान सभाओं के 348 आम चुनाव आयोजित किये गए हैं और देश अब लोकसभा के 16वें देशव्यापी आम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है।

(स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय)